



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1828]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ 30, 1938

No. 1828]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ASADHA 30, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

का.आ. 2481(अ).—निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में नाहन से लगभग 38 किलोमीटर दूर अवस्थित है। रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य लगभग 4.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वह रेणुका जी झील के अवाह क्षेत्र का भाग है;

और, इस अभयारण्य में मुख्य प्रजातियों में सांभर, मुंजक, जलीय जीव पाए जाते हैं;

और, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य का एक क्षेत्र ढंका हुआ है जो पुराने प्राकृतिक साल वनों के साथ उत्तरी मुख्य सीमाओं से चिन्हित है जहाँ साल की स्थानिक प्रजातियाँ मुख्य सम्मिलित हैं और अधिकतर विविध बड़ी पत्ती स्प्पा मिश्रित पाई जाती है, जो अधिकतर शुष्क पर्णपाती, जैसे- खैर, शीशम, अमलतस क्षेत्र का है, इसलिए कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली की जैव विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है और साल का जीन पुल के संरक्षण में भी महत्व है और यह मिश्रित विविध प्रजातियों जैसे बैल, खैर, अमलतस, शीशम, कचनर, अनजीर आदि के साथ यह सम्मिलित है, जहाँ 173 पौधों की प्रजातियों का संबंध 74 समूह में अभिलिखित है;

और, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 443 प्रजातियों की सूची, छोटे क्षेत्र में श्रेणी से सूक्ष्मदर्शी प्रोटोजोआ की बृहत स्तनधारी से मापी जाती है। इस क्षेत्र में पक्षियों की 107 प्रजातियों, तितलियों की 96 प्रजातियों और मछलियों की 19 प्रजातियाँ भी पाई जाती है। अपनी सांस्कृतिक महत्व और उल्लेखनीय वनस्पतियों और जीव के कारण, रेणुका झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि (रामसर आर्द्रभूमि) के रूप में हमारे देश में 25 आर्द्रभूमि में नामदिष्टि किया गया है, जबकि हिमाचल में 3 झीले अर्थात् पोग डैम झील, चंद्रतल झील और रेणुका झील है;

और, रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर से 0.4 किलोमीटर से 2.15 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न रूप से विस्तारित क्षेत्र को रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 15.29 वर्ग किलोमीटर तक होगा और उसका विस्तार अभयारण्य से 2.15 किलोमीटर तक होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 11 ग्रामों की सूची और उनके जीपीएस निर्देशांक **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र, उसकी सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशान्तर **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) रेणुका जी पारिस्थितिक संवेदी जोन के चारों ओर सीमा के जीपीएस ब्यौरों **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई;
- (x) लोक निर्माण विभाग;

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के भीतर अलग से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 9, 19, 25, 34 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय;
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिःसाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिःसाव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां-

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नए वृहत तापीय और जल-विद्युतीय परियोजना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	1 से 10 से अधिक ढलानों वाली पहाड़ी पर और किसी नदी और प्राकृतिक नालों के किनारों से 100 मीटर तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात के सिवाए कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा ।
7.	जलावन लकड़ी का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)

	वाणिज्यिक उपयोग।	।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अवशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटल और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी; परंतु 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
10.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी । परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा । एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
11.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरना या गर्म वायु गुब्बारों आदि का उड़ाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
12.	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

15.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
17.	जैव निम्नीकरणीय सामग्री का पुनःचक्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	इलैक्ट्रिक लाइनों का रोधन।	भूमिगत लाइनों को बिछाने का संवर्धन करना।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
20.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी । कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
21.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
26.	गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	प्रवासी चारागाही।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	टीडी अधिकार ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	चल रही कृषि और बागवानी तथा वानिकी और वन्य संबंधी क्रियाकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	हिम/वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **माननीय समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी माननीय के लिए तीन साल की एक माननीय समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|--------|--|---------------|
| (i) | उपायुक्त, सिरमौर जिला | -अध्यक्ष |
| (ii) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (iii) | पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ | -सदस्य |
| (iv) | हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (v) | क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकर्ता | -सदस्य |
| (vi) | वन उप संरक्षक, शिमला | -सदस्य |
| (vii) | राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (viii) | संबद्ध प्रभाग वन अधिकारी | -सदस्य सचिव । |

निर्देश निबंधन

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानिटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानिटरि समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण

निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/6/2016-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I


पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का वर्णन

पारिस्थितिक संवेदी जोन रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक			
ग्राम पंचायत के नाम	ग्राम के नाम	उत्तर	पूर्व
जम्मू कोटी	जम्मू कोटी	30°10.135	77°28.45259
	लाथीआना	30°37.23.34	77°28.39.264
	कथामली	30°37.13.22	77°28.30.437
	काया	30°36.44.519	77°29.19.457
खाला खालाकियर	धार	30°36.4.6	77°27.44.769
	तरन	30°35.49.77	77°28.40.419
	चुलरीया	30°35.34.121	77°28.2.427
	बेदोन	30°35.24.589	77°23.52.39

	केर	30°36.11.402	77°28.50.463
	रेणुका जी	30°36.31.691	77°27.3.0274
चुली दादहु	दादुह	30°35.59.977	77°25.49.591

उपाबंध II

रेणुका जी पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

रेणुकाजी पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	77° 26.251' पू	30° 37.086' उ
2.	77° 27.059' पू	30° 37.562' उ
3.	77° 27.672' पू	30° 37.235' उ
4.	77° 28.884' पू	30° 37.621' उ
5.	77° 29.351' पू	30° 36.760' उ
6.	77° 28.729' पू	30° 35.767' उ
7.	77° 27.483' पू	30° 35.556' उ
8.	77° 26.428' पू	30° 35.761' उ
9.	77° 26.195' पू	30° 36.462' उ

रेणुकाजी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के निर्देशांक

अक्षांश	देशांतर
77° 26' 34.653'' पू	30° 36' 51.255'' उ
77° 27' 18.608'' पू	30° 36' 51.71'' उ
77° 27' 45.119'' पू	30° 36' 50.486'' उ
77° 28' 7.081'' पू	30° 37' 2.014'' उ
77° 28' 22.137'' पू	30° 36' 58.038'' उ
77° 28' 33.316'' पू	30° 36' 42.87'' उ
77° 28' 18.492'' पू	30° 36' 29.46'' उ
77° 28' 7.431'' पू	30° 36' 6.028'' उ
77° 27' 31.7'' पू	30° 36' 10.243'' उ
77° 27' 21.367'' पू	30° 36' 14.441'' उ
77° 26' 45.604'' पू	30° 36' 0.313'' उ
77° 27' 4.577'' पू	30° 36' 35.797'' उ
77° 26' 31.986'' पू	30° 36' 15.185'' उ

पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

अक्षांश	देशांतर
77° 26' 34.653'' पू	30° 36' 51.255'' उ
77° 26' 43.583'' पू	30° 37' 8.225'' उ
77° 26' 33.206'' पू	30° 37' 22.634'' उ
77° 26' 23.242'' पू	30° 37' 40.844'' उ
77° 26' 32.177'' पू	30° 37' 46.032'' उ
77° 26' 49.367'' पू	30° 37' 41.439'' उ
77° 27' 9.844'' पू	30° 37' 51.255'' उ

77° 27' 8.19'' पू	30° 37' 26.796'' उ
77° 27' 29.961'' पू	30° 37' 23.205'' उ
77° 27' 37.019'' पू	30° 37' 30.424'' उ
77° 27' 57.408'' पू	30° 37' 25.533'' उ
77° 28' 11.166'' पू	30° 37' 29.219'' उ
77° 28' 57.17'' पू	30° 37' 29.85'' उ
77° 29' 8.727'' पू	30° 37' 4.596'' उ
77° 29' 14.557'' पू	30° 36' 40.902'' उ
77° 28' 53.837'' पू	30° 36' 11.943'' उ
77° 28' 56.592'' पू	30° 36' 6.477'' उ
77° 28' 33.407'' पू	30° 35' 49.912'' उ
77° 27' 37.363'' पू	30° 35' 34.136'' उ
77° 27' 21.82'' पू	30° 35' 27.821'' उ
77° 26' 38.387'' पू	30° 35' 33.283'' उ
77° 26' 13.614'' पू	30° 35' 53.369'' उ
77° 26' 8.759'' पू	30° 36' 22.374'' उ

उपाबंध IV**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति -की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2016

S.O. 2481(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry

of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, Renuka Ji Wildlife Sanctuary is located about 38 kilometres away from Nahan in Sirmour District in the State of Himachal Pradesh. Renuka Ji Wildlife sanctuary covers an area of 4.02 square kilo meters and forms the catchment of the Renuka Ji Lake.

AND WHEREAS, the key species found in the said Sanctuary are Sambar, Barking Deer, Aquatic life;

AND WHEREAS, the Renuka Wildlife Sanctuary covers an area which marks the northern most boundaries with the old natural Sal forests, where Sal is found as endemic Species mixed with all its major associates, and mostly miscellaneous broad leaved spp, which is mostly dry deciduous, such as Khair, Shisam, Amalthus. The area, therefore gains significance in maintaining the biodiversity of the fragile ecosystem and in conserving the gene pool of Sal and its associates along with mixed miscellaneous species like Beil, Khair, Amaltas, Shisham, Kachnar, Anzir etc. 173 species of plants belonging to 74 families have been recorded here.

AND WHEREAS, a survey conducted by the Zoological Survey of India list 443 species, ranging from microscopic protozoa to large mammals in the small area. 107 species of birds, 96 species of butterflies and 19 species of fishers are also found in the area. Owing to its cultural importance and noteworthy flora and Fauna, Renuka Lake has also been recognised as a Wetland of International Importance (Ramsar Wetland). It's a very unique recognition as only 25 wetlands have been designated in our country while Himachal has 3 viz., Pong Dam Lake, Chandertal Lake and Renuka Lake.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Renuka Ji Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.4 kilometre to 2.15 kilometer around the boundary of Renuka Ji Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Renuka Ji Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 15.29 square kilometres around the Renuka Ji Wildlife Sanctuary with an extent upto 2.15 kilometre.

(2) The list of 11 villages and their GPS co-ordinates falling under the said Eco-sensitive Zone is annexed as Annexure-I.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

(4) The boundary details of GPS along the Eco-sensitive Zone of Renuka Ji is given at **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation, and
- (x) Public Works Department,

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Himachal Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9,19,25,34 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Renuka Ji Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in

the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**- (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
9.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with

		the Tourism Master Plan.
10.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Provided also that further beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for <i>bone fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
12.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
17.	Recycling of Bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
18.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling.
19.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
21.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
22.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
24.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Non-timber forest products	Regulated under applicable laws.
27.	Migratory Grazing.	Regulated under applicable laws.
28.	TD Rights.	Regulated under applicable laws.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.

30.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
31.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Snow/Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
37.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- | | |
|---|--------------------|
| (i) Deputy Commissioner, Sirmour District | Chairman; |
| (ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years | Member; |
| (iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years | Member; |
| (iv) Representative Himachal Pradesh Pollution Control Board | Member; |
| (v) Senior Town Planner of the area | Member; |
| (vi) Dy. Conservator of Forest, Shimla | Member; |
| (vii) Representative State Bio Diversity Board | Member; |
| (viii) Concerned Divisional Forest Officer | Member- Secretary. |

Terms of Reference :

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned ark in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/6/2016-ESZ-RE]
Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'


ANNEXURE-I

Detail of Villages within the proposed Eco-sensitive Zone
GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone Ranuka ji Wild Life Range

Name of Gram Panchayat	Name of Village	North	East
Jammu Koti	Jammu Koti	30 ^o 10.135	77 ^o 28.45259
	Lathiana	30 ^o 37.23.34	77 ^o 28.39.264
	Kathmali	30 ^o 37.13.22	77 ^o 28.30.437
	Kayarta	30 ^o 36.44.519	77 ^o 29.19.457
Khala Khalakiyar	Dhar	30 ^o 36.4.6	77 ^o 27.44.769
	Taran	30 ^o 35.49.77	77 ^o 28.40.419
	Chulariya	30 ^o 35.34.121	77 ^o 28.2.427
	Bedon	30 ^o 35.24.589	77 ^o 23.52.39
	Kiar	30 ^o 36.11.402	77 ^o 28.50.463
	Renukqji	30 ^o 36.31.691	77 ^o 27.3.0274
Chuli Dadahu	Dadahu	30 ^o 35.59.977	77 ^o 25.49.591

ANNEXURE-II

Map of Reunuka Ji Eco-sensitive Zone



ANNEXURE-III

GPS co-ordinate of Renuka Ji Eco-sensitive Zone

S.No.	Longitude	Latitude
1.	77 ⁰ 26.251'E	30 ⁰ 37.086'N
2.	77 ⁰ 27.059'E	30 ⁰ 37.562'N
3.	77 ⁰ 27.672'E	30 ⁰ 37.235'N
4.	77 ⁰ 28.884'E	30 ⁰ 37.621'N
5.	77 ⁰ 29.351'E	30 ⁰ 36.760'N
6.	77 ⁰ 28.729'E	30 ⁰ 35.767'N
7.	77 ⁰ 27.483'E	30 ⁰ 35.556'N
8.	77 ⁰ 26.428'E	30 ⁰ 35.761'N
9.	77 ⁰ 26.195'E	30 ⁰ 36.462'N

Renukaji Wildlife Sanctuary Coordinates of PA

Latitude	Longitude
77 ⁰ 26' 34.653'' E	30 ⁰ 36' 51.255'' N
77 ⁰ 27' 18.608'' E	30 ⁰ 36' 51.71'' N
77 ⁰ 27' 45.119'' E	30 ⁰ 36' 50.486'' N
77 ⁰ 28' 7.081'' E	30 ⁰ 37' 2.014'' N
77 ⁰ 28' 22.137'' E	30 ⁰ 36' 58.038'' N
77 ⁰ 28' 33.316'' E	30 ⁰ 36' 42.87'' N
77 ⁰ 28' 18.492'' E	30 ⁰ 36' 29.46'' N
77 ⁰ 28' 7.431'' E	30 ⁰ 36' 6.028'' N
77 ⁰ 27' 31.7'' E	30 ⁰ 36' 10.243'' N
77 ⁰ 27' 21.367'' E	30 ⁰ 36' 14.441'' N
77 ⁰ 26' 45.604'' E	30 ⁰ 36' 0.313'' N
77 ⁰ 27' 4.577'' E	30 ⁰ 36' 35.797'' N
77 ⁰ 26' 31.986'' E	30 ⁰ 36' 15.185'' N

Coordinates of Eco-sensitive Zone

Latitude	Longitude
77 ⁰ 26' 34.653'' E	30 ⁰ 36' 51.255'' N
77 ⁰ 26' 43.583'' E	30 ⁰ 37' 8.225'' N
77 ⁰ 26' 33.206'' E	30 ⁰ 37' 22.634'' N
77 ⁰ 26' 23.242'' E	30 ⁰ 37' 40.844'' N
77 ⁰ 26' 32.177'' E	30 ⁰ 37' 46.032'' N
77 ⁰ 26' 49.367'' E	30 ⁰ 37' 41.439'' N
77 ⁰ 27' 9.844'' E	30 ⁰ 37' 51.255'' N
77 ⁰ 27' 8.19'' E	30 ⁰ 37' 26.796'' N
77 ⁰ 27' 29.961'' E	30 ⁰ 37' 23.205'' N
77 ⁰ 27' 37.019'' E	30 ⁰ 37' 30.424'' N
77 ⁰ 27' 57.408'' E	30 ⁰ 37' 25.533'' N
77 ⁰ 28' 11.166'' E	30 ⁰ 37' 29.219'' N
77 ⁰ 28' 57.17'' E	30 ⁰ 37' 29.85'' N
77 ⁰ 29' 8.727'' E	30 ⁰ 37' 4.596'' N
77 ⁰ 29' 14.557'' E	30 ⁰ 36' 40.902'' N
77 ⁰ 28' 53.837'' E	30 ⁰ 36' 11.943'' N
77 ⁰ 28' 56.592'' E	30 ⁰ 36' 6.477'' N
77 ⁰ 28' 33.407'' E	30 ⁰ 35' 49.912'' N
77 ⁰ 27' 37.363'' E	30 ⁰ 35' 34.136'' N
77 ⁰ 27' 21.82'' E	30 ⁰ 35' 27.821'' N
77 ⁰ 26' 38.387'' E	30 ⁰ 35' 33.283'' N
77 ⁰ 26' 13.614'' E	30 ⁰ 35' 53.369'' N
77 ⁰ 26' 8.759'' E	30 ⁰ 36' 22.374'' N

ANNEXURE-IV**Performa of Action Taken Report Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. (Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
[Details may be attached as annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
[Details may be attached as separate annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.